न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर अरनोद

निर्णय बइजलास प्रकाशचन्द्र रेगर (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण सं. - 35/20

दायरा तारीख - 04.08.20

उनवान

देवा पिता नानू राम जाति भील नि० मोठीया त. अरनोद
(प्रार्थी)

बनाम

1. जीवा उर्फ जीवन लाल पिता प्रभुलाल जाति मीणा
2. मोहन पिता जीवा उर्फ जीवन लाल जाति मीणा
3. बालचन्द्र पिता जीवा उर्फ जीवन लाल जाति मीणा
4. बद्रीलाल पिता जीवा उर्फ जीवन लाल जाति मीणा
5. दीपक पिता जीवा उर्फ जीवन लाल जाति मीणा

सभी निवासी मोठीया त. अरनोद
(अप्रार्थीगण)

• प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 आर टी एक्ट-1955 •

उपस्थित - विद्वान अभिभाषक श्री आर एल भाला
(प्रार्थी)

निर्णय

दिनांक - 13.10.XX

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोठीया प. ह. बड़ीसाखथली त. अरनोद जिला प्रतापगढ़ में खाता सं. 53 ख. नं. 39 रकबा 2.02 है, ख. नं. 85 रकबा 0.17 है एवं ख. नं. 121 रकबा 0.47 है कुल किता 3 कुल रकबा 2.66 है स्थित है। जो कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारों ने तीस वर्ष पूर्व आपसी

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

लगातार.....

सहमति से पारिवारिक विभाजन कर आराजी नं. 85 एवं आराजी नं 121 के सम्पूर्ण हिस्से व आराजी नं. 39 में से 1/3 हिस्सा प्रार्थी के अलावा अन्य खातेदारो ने अपने हक में एवं आ. नं. 39 का शेष 2/3 हिस्सा प्रार्थी को सुपुर्द किया था। तब से ही प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

अप्रार्थीगण का उक्त आराजी नं. 39 के 2/3 हिस्से पर कोई हक-हकूक नही है फिर भी आये दिन प्रार्थी की फसल को नुकसान पहुँचाते रहते है और मना करने पर लड़ाई-झगड़ा और जबरन कब्जा करने की धमकिया देते है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त भूमि पर धन-बल / जनबल से कब्जा कर लेगे तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी के खातेदार होने प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में है इससे सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में स्वतः प्रमाणित है।

अतः न्यायालय हजा से निवेदन है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी नं. 39 के 2/3 के उत्तर की ओर के हक हिस्से पर किसी प्रकार का नाजायज कब्जा न स्वयं करे और न ही अपने परिजन, नौकर एवं एजेन्ट आदी से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील भी अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी अधिवक्ता / अप्रार्थीगण स्वयं भी उपस्थित नही हुये तदनुसार अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी, ... जिला प्रतापगढ़ (राज.)

1 लगायत 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी भी एक पक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश मुकर्रर की गयी

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया।

प्रार्थना-पत्र एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी से जाहिर है कि आराजी सं. 39 के 2/3 हिस्से (उत्तर की ओर) पर पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रार्थी काबिज काश्त खातेदार है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 का उक्त आराजियात से कोई सरोकार नहीं है जबरन परेशान करने की नीयत से लडाई-झगड़ा / कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थी के खातेदार काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है जिससे सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है।

* क्रियात्मक आदेश *

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी नं. 39 के 2/3 हिस्से उत्तर की ओर किसी भी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
लगातार

की दखल अन्दाजी न तो स्वयं /न अन्य किसी द्वारा करावे। प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, अरनोद